कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, उ0प्र0
लोक निर्माण विभाग, लखनऊ
(बजट "क" वर्ग)

[illegible]– 693 बी.जी.जी. / 7बी.–नक्सल योजना / 2012–13 नए कार्य   दिनांकः– 13.03.2013

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता,
वाराणसी क्षेत्र,
लो0नि0वि0, वाराणसी।

विषय– वित्तीय वर्ष 2012–13 में अनुदान संख्या–58 के अधीन जिला योजनान्तर्गत नक्सल प्रभावित जनपद सोनभद्र की 04 परियोजनाओं की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति का धनावंटन।

सन्दर्भ :– शासनादेश संख्या–[illegible] / 23–14–2012–63आ0जि0यो0(न0) / 12, दि0–06.03.2013

लेखाशीर्षक :– (अनुदान संख्या 58 के अन्तर्गत) 5054–04–337–05–00–24

कृपया सन्दर्भगत शासनादेश (छायाप्रति संलग्न) का अवलोकन करें, जिसके द्वारा नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में ग्रामीण [illegible] तथा लघु सेतुओं के नये निर्माण कार्यों हेतु एकमुश्त व्यवस्था की योजना में वित्तीय वर्ष 2012–13 में जनपद सोनभद्र की [illegible] परियोजनाओं हेतु मूल्यांकित लागत रू0 676.78 लाख (रू0 छः करोड़ छिहत्तर लाख अठहत्तर हजार मात्र) की प्रशासकीय [illegible] वित्तीय स्वीकृति तथा मिट्टी से कराये जाने वाले कार्यों की धनराशि रू0 38.46 लाख घटाते हुए लोक निर्माण विभाग का [illegible] रू0 638.32 लाख (रू0 छः करोड़ अड़तीस लाख बत्तीस हजार मात्र) के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष में रू0 127.66 लाख [illegible] एक करोड़ सत्ताईस लाख छाछठ हजार मात्र) की धनराशि व्यय हेतु वित्तीय वर्ष 2012–13 में अवमुक्त की गई है।

अतः उपरोक्त शासनादेश दिनांक–06.03.2013 के अनुपालन में रू0 127.66 लाख (रू0 एक करोड़ सत्ताईस लाख [illegible]) की धनराशि का आवंटन निम्नलिखित तालिका के अनुसार एतद्द्वारा किया जाता है :–

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र0 सं0	खण्ड / जनपद का नाम	कार्य का नाम	लम्बाई कि0मी0 में	मनरेगा	प्रभाग द्वारा आंकलित लागत	मनरेगा अंश सहित प्रभाग द्वारा आंकलित लागत	वर्ष 12–13 में आवंटन
1	[illegible] सोनभद्र	[illegible] से मुईया बस्ती मलिया नदी तक सम्पर्क मार्ग।	3.00	12.82	179.97	192.79	35.99
2	[illegible] सोनभद्र	[illegible] रेलवे लाइन से [illegible] होते हुए महुली [illegible] तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण।	3.00	12.82	179.97	192.79	35.99
3	नि0ख0–3, सोनभद्र	बोम से जामपानी सम्पर्क मार्ग।	3.00	12.82	180.70	193.52	36.23
4	नि0ख0–5, सोनभद्र	ग्राम परसोई टोला बिजुल नदी से पिपुरा टोला तक सम्पर्क मार्ग एवं रपटा का निर्माण कार्य।	2.80	0.00	97.68	97.68	19.45
		योग–	11.80	38.46	638.32	676.78	127.66

1– उक्त वर्णित कार्य उस समय तक प्रारम्भ न किये जाये और न ही उन पर कोई व्ययभार वहन किया जाये जब तक कि स्वीकृत लागत के अन्दर प्रस्तगत निर्माण कार्यों का विस्तृत आगणन बनाकर प्रायोजना पर प्राविधिक / तकनीकी स्वीकृति सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदान न कर दी जाये। कार्य की विशिष्टियाँ मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी तथा स्वीकृत मात्राओं का निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का उत्तरदायित्व प्राविधिक स्वीकृति प्रदान करने वाले सक्षम अधिकारी का होगा तथा कार्य एवं फण्डिंग की डुप्लीकेसी न हो एवं कार्य समय से पूर्ण हो, यह भी सुनिश्चित कर लिया जायेगा।

2– स्वीकृत धनराशि एकमुश्त न आहरित कर कार्य की आवश्यतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि किसी भी दशा में बैंकों / पी0एल0ए0 / डाकघर में नही रखी जायेगी, स्वीकृत धनराशि अनुमोदित कार्यों पर ही व्यय की जायेगी।

3– प्रस्तगत कार्यों पर निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वन विभाग की सहमति / अनापत्ति नियमानुसार प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य कराये जायेंगे।

क्रमशः पेज 2

[illegible] WORD Document\601-500\132824_rajya setu.doc

(4)

स्वीकृत परियोजनाओं के लिए स्वीकृत धनराशि का उपभोग दि0—31.3.13 तक अवश्य पूर्ण कर लिया जायेगा तथ
परियोजनाओं का जनपद स्तर पर कोई संशोधन/परिवर्तन नही किया जा सकेगा।
5— कार्य की विशिष्टियों मानक व गुणवत्ता की सम्पूर्ण जिम्मेदारी क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता की होगी तथा कार्य एवं फन्डिंग
की डुप्लीकेसी न हो, कार्य समय से पूरा हो यह भी कार्यदायी संस्था/मुख्य अभियन्ता सुनिश्चित करेंगे।
प्रश्नगत स्वीकृति परिव्यय के अन्तर्गत ही निर्गत की जायेगी।
स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं सुसंगत प्राविधानों, समय—समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशो
के अनुरूप किया जायेगा।
प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है उसको व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/ मद में किया
जायेगा।
विभाग यह सुनिश्चित करेगा कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य श्रोत से
धनराशि स्वीकृत नही की गयी है।
यह भी सुनिश्चित किया जाय कि उक्त कार्य की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजना में पुनरावृत्ति न हो।
अधिष्ठान व्यय की धनराशि समय—समय पर स्वीकृत/आवंटित की जा रही धनराशि के सापेक्ष ही जमा की जायेगी।
अधिष्ठान व्यय की धनराशि रू0 66.07 लाख वित्त (लेखा) अनुभाग—2 शासनादेश संख्या—ए—2—23
/दस—2011—74(4)/75/2011, दि0—28 फरवरी, 2011 द्वारा जारी विस्तृत दिशा निर्देशों के अनुसार निर्माण लागत
में से लागत का 5 प्रतिशत घटाने के बाद उपलब्ध लागत पर 12.5 प्रतिशत सेन्टेज/अधिष्ठान व्यय की धनराशि वित्त
(आय—व्ययक) अनुभाग—1 के कार्यालय—ज्ञाप दिनांक—21 मार्च 2011 के संलग्नक में प्रदर्शित संबंधित विभाग के प्राप्त
लेखाशीर्षक—1054—सड़क तथा सेतु—800—अन्य प्राप्तियाँ—01—प्रतिशतता प्रभारों की वसूली में ट्रांसफर इन्ट्री द्वारा
क्रेडिट करके विभाग द्वारा जमा किया जायेगा।
लेबर सेस की धनराशि रू0 5.29 लाख इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया
जायेगा।
उक्त के संबंध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2012—13 में अनुदान संख्या—58 के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष
में लेखाशीर्षक—5054—सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय—04—जिला तथा अन्य सड़कें—337—सड़क निर्माण
कार्य—05—नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में ग्रामीण मार्गों तथा लघु सेतुओं के नये निर्माण कार्यों हेतु एकमुश्त
व्यवस्था—24—वृहद निर्माण कार्य के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वहन किया जायेगा तथा उक्त कार्य के
नामे डाला जायेगा।
यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या—ई0—8—839/दस—13, दि0—05 मार्च, 2013 द्वारा प्राप्त सहमति से
जारी किये जा रहे है।
उपरोक्त आवंटन की प्रविष्टि पंजिका सं0 91 के पृष्ठ संख्या 76 पर अंकित कर दी गई है।
[illegible]

(एस0के0 [illegible])
वित्त नियंत्रक
लो0नि0वि0, लखनऊ।

[illegible] 13

(बी0के0 [illegible]सल)
मुख्य अभियन्ता (क्षे0—1)
लो0नि0वि0, लखनऊ।

प्रतिलिपि :—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1— महालेखाकार प्रथम (निर्माण) उ0प्र0 इलाहाबाद।
2— प्रमुख सचिव के निजी सचिव लो0नि0वि0, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
3— विशेष सचिव, लो0नि0अनु—14, उ0प्र0 शासन लखनऊ।
4— वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग लखनऊ को तत्काल साख सीमा जारी करने हेतु।
5— वित्त व्यय (नियंत्रण), अनुभाग—8/वित्त (आय—व्ययक) अनुभाग—2, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
6— अधीक्षण अभियन्ता, नियोजन, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
7— अधिशासी अभियन्ता, नि0ख0—3/5 लो0नि0वि0, सोनभद्र।
8— अधिशासी अभियन्ता (कम्प्यूटर), कम्प्यूटर केन्द्र लो0नि0वि0, लखनऊ। सी0डी0 सहित।
9— ~~कोषाधिकारी, सोनभद्र।~~
10— प्रशासनिक अधिकारी बजट क वर्ग, लो0नि0वि0, लखनऊ।
11— गार्ड फाईल हेतु।

(एस0के0 श्रीवास्तव)
अधीक्षण अभियन्ता
(परियोजना)
लो0नि0वि0, लखनऊ।